TelegraphicAddress :
"SATARKTA: New Delhi

E-Mail Address
cenvigil@nic.in

Website
www.cvc.nic.in

EPABX
24651001 - 07

फैक्स/Fax : 24616286

सत्यमेव जयते

केन्द्रीय सतर्कता आयोग
CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

सतर्कता भवन, जी.पी.ओ. कॉम्पलैक्स,
ब्लॉक-ए, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023
Satarkta Bhawan, G.P.O. Complex,
Block A, INA, New Delhi 110023

सं./ No. संख्या-016/वीजीएल/030
दिनांक / Dated 27.09.2016

परिपत्र सं-10/09/16(IV)

विषय: सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2016 का अनुपालन ।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने दिनांक 19.09.2016, 23.09.2016 तथा 26.09.2016 के अपने समसंख्यक परिपत्रों द्वारा इस वर्ष 31 अक्तूबर से 5 नवम्बर, 2016 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह का अनुपालन करने के अनुदेश जारी किए थे । इस सप्ताह का विषय "ईमानदारी को प्रोत्साहन देने तथा भ्रष्टाचार उन्मूलन में जन सहभागिता" है ।

2. संगठनों के भीतर आयोजित किए जाने के लिए आयोग द्वारा सुझाए गए कार्यकलापों तथा जनसाधारण/नागरिकों के लिए सुझाई गई विशिष्ट गतिविधियों के एक भाग के रूप में, यह सलाह दी गई थी कि भ्रष्टाचार के दुष्प्रभाव पर नागरिकों को सुग्राही बनाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ग्राम पंचायतों में जागरूकता का प्रचार करने हेतु "ग्राम सभा जागरूकता" का आयोजन करेंगे (आयोग का दिनांक 19.09.2016 का परिपत्र का पैरा 4 - बी 5) । इस कार्यकलाप को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा उनके द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) द्वारा बड़े पैमाने पर उनकी शाखाओं के नेटवर्क के माध्यम से आयोजित करने की आवश्यकता है । यह अपेक्षा की जाती है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/आरआरबी की प्रत्येक शाखा, सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान 31 अक्तूबर से 5 नवम्बर 2016 के मध्य कम से कम दो ग्राम पंचायतों में "ग्राम सभा जागरूकता" का आयोजन करेगी । सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, विशेष रूप से जिले के मुख्य बैंक द्वारा जिला स्तर पर भी इस तरह की सभाओं/बैठकों का आयोजन किया जा सकता है ।

3. आयोग यह चाहता है कि "ग्राम सभा जागरूकता" के सफल कार्यान्वयन के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी अपने अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक (या उनके द्वारा नामित व्यक्ति) को साथ लेकर अपने सर्कल

तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के अध्यक्षों, आर.आर.बी. के अध्यक्ष, सतर्कता प्रबंधकों तथा सतर्कता अधिकारियों के साथ एक बैठक/विडियो कान्फ्रेसिंग का आयोजन करें । कार्यालय के अध्यक्ष/क्षेत्रीय कार्यालय (अथवा सर्कल के अध्यक्ष यदि कोई क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है तो) इस कार्यकलाप के नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे ।

4. नोडल अधिकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सभी शाखा प्रबंधकों को विभिन्न कार्यकलाप जैसे भ्रष्टाचार तथा इसके दुष्प्रभावों पर जागरूकता उत्पन्न करने के लिए बैठकों का आयोजन, उपलब्ध समस्या निवारण विकल्पों पर नागरिकों को प्रशिक्षित करने तथा "ग्राम सभा जागरूकता" के एक भाग के रूप में प्रतियोगिताएं/मेले/रात्रि चौपाल/सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन करने के अनुदेश देंगे । आयोग यह अपेक्षा करता है कि सभी संबंधित पक्ष जैसे सरपंच, ग्राम पंचायत के सदस्य, स्वयं सहायता समूह, मनरेगा के कार्यकर्ता, कृषक, छात्र तथा नागरिक इस विशिष्ट कार्यकलाप में सक्रिय रूप से शामिल होंगे ।

5. यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपर्युक्त विशिष्ट कार्यकलाप एक समन्वित तथा संकेंद्रित तरीके से आयोजित किए जाएं तथा पूरे राष्ट्र में इनको अधिकतम कवर किया जाए, आयोग ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/आर.आर.बी. के सभी संबंधित कर्मचारियों के मार्गदर्शन हेतु एक कार्य योजना (अनुलग्नक-क) तैयार की है ।

6. आयोग यह चाहता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मुख्य सतर्कता अधिकारी, ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों तथा उनके संबंधित बैंकों के जिला स्तर को भी कवर करने के लिए मिल कर कार्य करें तथा उपर्युक्त विशिष्ट कार्यकलापों का आयोजन करें ।

7. यह अधिसूचना आयोग की वेबसाईट http://www.cvc.nic.in पर भी उपलब्ध है ।

ह0-
(नीलम साहनी)
सचिव

संलग्न : यथा उपर्युक्त

प्रति

(i) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सभी मुख्य कार्यकारी/अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक ।
(ii) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी ।
(iii) संयुक्त सचिव एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी, वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली ।

अनुलग्नक-क

"ईमानदारी को प्रोत्साहन देने तथा भ्रष्टाचार उन्मूलन में जन सहभागिता"

पर

सतर्कता जागरूकता सप्ताह - 2016 का अनुपालन

31 अक्तूबर - 5 नवम्बर

ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में "ग्राम सभा जागरूकता" के आयोजन के लिए कार्य योजना

"ग्राम सभा जागरूकता" के आयोजन के लिए निदर्शी कार्यकलापों की सूची निम्नलिखित है, तथापि सभा आयोजित करने का प्रथम कार्यकलाप किया जाना अनिवार्य है ।

1) ग्राम पंचायतों में सभा आयोजित करें तथा सभी संबंधित पक्षों, जैसे सरपंच, ग्राम पंचायत के सदस्यों, स्वयं सहायता समूहों, मनरेगा के कार्यकर्ताओं, कृषकों, छात्रों तथा नागरिकों को आमंत्रित करें । ग्राम सभा के प्रधान/सरपंच या अन्य किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से भ्रष्टाचार के विरूद्ध जागरूकता पर व्याख्यान देने का अनुरोध किया जा सकता है, जिसके बाद चर्चा का आयोजन किया जा सकता है । सभा में देशी भाषाओं में भ्रष्टाचार-रोधी संदेश भी प्रदर्शित किए जा सकते हैं ।

2) प्रश्नोत्तरी, कार्टून बनाना, स्लोगन, पेंटिंग, रंगोली तथा पोस्टर प्रतियोगिताओं का आयोजन करें ।

3) स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों का व्यापक प्रचार करने हेतु मेले का आयोजन, प्रेरणादायक उपाय के रूप में करें ताकि वे जागरूकता उत्पन्न करने वाले प्रयासों से जुड़ सकें ।

4) ग्रामों/पंचायतों में शाम की चौपाल/सभाओं का आयोजन करें जिसके दौरान भ्रष्टाचार-रोधी विषय पर ध्यान केंद्रित करते हुए लघु नाटक/नौटंकियां/कला जत्था/लोकगीत/कठपुतली प्रदर्शन आदि का आयोजन किया जा सकता है ।

****